न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 239 / 2013 / टीआई

1. गोपाल पुत्र श्री फुला
2. मदन पुत्रश्री फुला
3. गिरधारी पुत्रश्री फुला
4. मोहन पुत्रश्री त्रिलोका
5. मंगला पुत्रश्री धन्ना
6. गणेश पुत्रश्री धन्ना
7. हणमान पुत्रश्री टीकू

(अप्रार्थी सं. 4 ता 7 का नाम हजफ किया गया)

समस्त जाति बलाई निवासीगण गुवारड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, मण्ढा(सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. ग्राम पंचायत, मण्ढा(सुरेरा) जरिये सरपंच, ग्राम पचांयत मण्ढा(सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. सुरजा पुत्रश्री त्रिलोका
5. प्रेमाराम पुत्रश्री धन्ना
6. बनवारी पुत्रश्री धन्ना
7. रामेश्वर पुत्रश्री धन्ना
8. राजु पुत्र श्री फुला

समस्त जाति बलाई निवासीगण गुवारड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

9. गोविन्दराम दतक पुत्र श्री भैरू जाति खाती नि0 मण्ढा(सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये मु.आम रामलाल पुत्रश्री घीसालाल जाति जाट निवासी ग्राम गुवारड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अप्रार्थी सं. 9 की ओर से

निर्णय दिनांक— 14.06.2017

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक दावा माननीय न्यायालय में बहुत ही ठोस एवं सबल आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता प्राप्त होने की पूरी आशा एवं विश्वास है। कृषि भूमि खसरा नं. 1218 ता ता 1221, 1223 ता 1226, 1228, 1232 किता 10 कुल रकबा 6.33 है. तन ग्राम गुमानपुरा व कृषि भूमि खसरा नं. 1135 ता 1138

ण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned by CamScanner

किता 4 कुल रकबा 3.17 है. वाके ग्राम मण्ढा(सुरेरा) व कृषि भूमि खसरा नं. 1230 रकबा 0.
51 है. वाके ग्राम गुमानपुरा में अवस्थित है जिनके पुराने खसरा नं. 565 रकबा 10 बीघा 16
बिस्वा, 566 रकबा 2 बीघा, 570 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 571 रकबा 2 बीघा 5
बिस्वा, खसरा नं. 572 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 574 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा,
खसरा नं. 576/2 रकबा 2 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा तन ग्राम
मण्ढा (सुरेरा) में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजियात वर्णित आवेदन पत्र की पैरा सं. 2
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 4 ता 8 की पैत्रिक कब्जे काश्त की कृषि भूमियां रही है जिन पर
आवेदन गण एवं अनावेदकगण सं. 4 ता 8 अपने पूर्वजों के जमाने से यानि काश्तकारी
अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही निरंतर व निर्बाध रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग में
लेते चले आ रहे है जिसका खसरा गिरदावरी में भी अंकन है तथा उक्त भूमियां भूरी बेवा
भैरू जाति खाती के नाम से होने से आवेदकगण एवं आवेदकगण केक पूर्वजों ने संपूर्ण
भूमियों का एक विकय पत्र दिनांक 29.08.1968 को पंजीबद्ध करवाया जिससे आवेदकगण
उपरोक्त भूमियों के खातेदार काश्तकारी हो गये लेकिन कृषि भूमि नवीन खसरा नं. 1230
रकबा 0.51 है0 तन ग्राम गुमानपुरा जिसके पुराने खसरा नं. 576/2 रकबा 2 बीघा है, विकय
पत्र तस्दीक करवाते समय उक्त खसरा नंबर विकय पत्र में अंकन होने से रह गया, क्योंकि
आवेदकगण एवं आवेदकगण के पूर्वज निरक्षर होने व खसरा नंबर आदि का ज्ञान नहीं होने
से यह भूमि विकय पत्र में अंकित होने से रह गई जबकि भूमि खसरा नं. 1230 पर
आवेदकगण एवं अनावेदकगण सं0 4 ता 8 का काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही
निरंतर एवं निर्बाद रूप से कब्जा एवं काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार आवेदकगण
एवं अनावेदकगण सं. 4 ता 8 के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार परिपक्व
हो चुके है इसलिए आवेदकगण एवं अनावेदकगण सं. 4 ता 8 को भूमि खसरा नं. 1230
रकबा 0.51 है. संपूर्ण का काबिज खातेदार एवं काश्तकार उद्घोषित किया जाना अति
आवश्यक एवं न्यायसंगत है। भूमि खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है. की खातेदारी भूरी बेवा
भैरू जाति खाती नि. गुमानपुरा का पति भैरू पिछले 50 वर्षो के पूर्व ही नाआलौद फौत होने
पर उक्त भूमि भूरी बेवा भैरू के जरिये विरासत खातेदारी अंकित हो गई जबकि भूरी बेवा
भैरू ने आवेदन पत्र की धारा 2 में वर्णित संपूर्ण भूमियों को जरिये पंजीकृत विकय पत्र
आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 4 ता 8 स्वयं व पूर्वजों को बेचान कर दिया था तथा अब
पिछले करीब 35 वर्ष पूर्व ही भूरी बेवा भैरू का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन भूरी बेवा भैरू के
कोई भी वारिस नहीं होने तथा कब्जा काश्त आवेदकगण एवं अनावेदकगण सं. 4 ता 8 की
निरंतर एवं निर्बाद रूप से चली आ रही है इसलिए भी आवेदकगण एवं अनावेदकमगण सं. 4
ता 8 उपरोक्त भूमि खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है. का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया
जाकर राजस्व रिकार्ड में सेशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। आवेदकगण
उपरोक्त भूमि खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है0 को अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते आ
रहे है तथा उक्त भूमियों से प्राप्त होने वाली उपजर से अपना एवं अपने परिवार का लालन
पालन करते है। आवेदकगण आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियों पर सकरारी लाभ
प्राप्त करने के आशय से राज्य सरकार/बैंकों द्वारा जारी किसान केडिट कार्ड के लिए विगत
कुछ दिनों पूर्व तहसील कार्यालय में गये तो तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने आवेदकगण
को अवगत कराया कि शेष खसरा नंबरान में तो आपकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है
किन्तु खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है. में आपकी खातेदारी दर्ज नहीं है तथा उक्त खसरा
नबंर पर आप किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो, अब

ण्ड अधिकारी [illegible]तारामगढ

Scanned by CamScanner

आप लोग उक्त खसरा नंबर की भूमि को आईन्दा से काश्त मत करना हम उक्त भूमि को सरकार के अधीन अधिग्रहण कर इसे सरकारी संरक्षण में लेंगे तथा आपको उक्त भूमि पर काश्त करने एवं अन्य किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि राजस्व कर्मचारी अथवा अधिकारी अपनी उक्त कार्यवाही करने में सफल हो गये तो आवेदकगण को अपनी पूर्वजों के समय से कब्जे काश्तशुदा उक्त भूमि खसरा नं. 1230 बाबत अपार सांपतिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति कानून द्वारा किया जाना कतई संभव नहीं होगा जिसकी पूर्ति कानून द्वज्ञरा कया जाना कतई संभव नहीं होगा इसलिए अनावेदकगण सं. 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण का सुदृद्ध है तथा उनकी पैत्रिक कब्जे काश्त की खरीदशुदा भूमि खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है. से बलात् बेदखल कर दिये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी इसलिए अनावेदकगण सं. 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है. बाबत अनावेदकगण सं. 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बलात् बेदखल करने, भूमि में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ करने, भूमि को किसी भी प्रकार के सरकारी संरक्षण में लेने से स्वयं मय अपने कर्मचारीगण इत्यादि तादौराने दावा बाज रहे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक सं. 1 ता 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी गोविन्दराम दतक पुत्र भैरू जाति खाती नि. मण्ढा सुरेरा द्वारा आवेदन अं.आदेश 1 नियम 10 सीपीसी जरिये वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा पेश होने पर आवेदन अं.आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 9 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 9 की ओर से जवाब पेश किया गया।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण का सुदृढ है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगणों को होगी इसलिए तादौराने दावा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराया गया एवं बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी में नहीं खातेदारी भूरी बेवा भैरू के विरासत में आई है तथा प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 9 मृतक भूरी का दतक पुत्र होने से विवादित आराजी उसकी है जिसका बेचान किया जा चुका है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम गुमानपुरा प.मं. मण्ढा सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066–69 के खसरा नं. 1230 रकबा 0.51 है0 की खातेदारी भूरी बेवा भैरू जाति खाती सा.देह के नाम अंकित है जिसके उसके दतक पुत्र गोविन्दराम द्वारा अन्यत्र बेचान भी की जा चुकी है। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह साबित नहीं होता है कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रही हो बल्कि विवादित आराजियात की एकमात्र खातेदार भूरी बेवा भैरू थी जिसके निधन होने पर उनके दतक पुत्र गोविन्दराम के नाम हो गई एवं गोविन्दराम द्वारा उक्त भूमि को अन्यत्र बेचान कर दिया है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से आवेदन स्थगन में वर्णित कथन के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त अन्य मौखिक साक्ष्य/कथन के अलावा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रही हो। रिकार्डेड दस्तावेज के अभाव में रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को नहीं होगी। अतः प्रार्थीगण का आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाने के आदेश दिये जाते है।

5. यह आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner